सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

129

एक सौ उन्नतीसवां प्रतिवेदन

[संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 74वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

(03.04.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च 2023/ चैत्र 1945(शक)

<u>विषय सूची</u>

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की संरचना		**(iii)**
प्राक्कथन		**(v)**
प्रतिवेदन	संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 74वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	1
परिशिष्ट		
परिशिष्ट-एक	समिति के **74**वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर संस्कृति मंत्रालय **(**एएंडए सेक्शन) द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर	
परिशिष्ट-दो	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना</u>

(2022-2023)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री मारगनी भरत
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री एस. रामलिंगम
13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
14. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
15. श्री अशोक कुमार यादव

<u>सचिवालय</u>

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 74वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफ़ारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में यह एक सौ उन्नतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. 74वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) 16.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। संस्कृति मंत्रालय ने 74वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए 03.11.2022 को अपने उत्तर प्रस्तुत किये। समिति ने 29.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

4. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

लोकसभा

<u>प्रतिवेदन</u>

समिति का यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) के 74वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा), जिसे 16.3.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित है। 74वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के लिए संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में है।

2. समिति ने 74वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में पांच टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं। सभी पांच टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार से की-गई-कार्रवाई उत्तर 03 नवंबर, 2022 को प्राप्त हो गए थे। 74वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर **<u>परिशिष्ट-एक</u>** में दिया गया है।

3. समिति ने अपने 74वें प्रतिवेदन में नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल), नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 से 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों की जांच की। समिति नोट करती है कि सरकार ने उक्त प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उनके कार्यान्वयन के लिए कदम भी उठाए हैं। हालांकि, समिति की-गई-कार्रवाई उत्तरों से पाती है कि माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली एजीएम का आयोजन न किए जाने के कारण आवश्यक दस्तावेजों के लिए अनुमोदन की प्राप्ति विलंब के मुख्य कारणों में से

एक है। इस संबंध में, समिति अपने 16वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) (पैरा 1.19) में की गई निम्नलिखित सिफारिश की ओर नोडल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहती है-

"समिति नोट करती है कि शासी निकायों/कार्यकारी समिति द्वारा वार्षिक लेखाओं के अनुमोदन में विलंब कई संगठनों के दस्तावेज़ों को सभा पटल पर रखने में होने वाले विलंब का मुख्य कारण है। इनमें युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरूंबदूर, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कई अन्य संगठन शामिल हैं। ऐसा बताया जाता है कि इन सभी संगठनों के शासी निकायों/कार्यकारी परिषदों की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्रियों द्वारा की जाती है और वे अपनी पूर्व व्यस्तताओं के कारण, शासी निकायों/कार्यकारी परिषदों की आवधिक बैठकें आयोजित करने के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। इसके परिणामस्वरूप, न केवल इन निकायों से दस्तावेजों के लिए अपेक्षित अनुमोदन में विलंब हुआ, बल्कि उन्हें सभा पटल पर रखे जाने में भी परिणामी विलंब हुआ। समिति का मानना है कि इस तरह के परिहार्य विलंब से इन संगठनों के कुशल कामकाज पर अपरिहार्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए, समिति महसूस करती है कि संबंधित मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन विभिन्न संगठनों के शासी निकायों की अध्यक्षता मंत्रियों द्वारा किये जाने के प्रश्न की उच्चतम स्तर पर समीक्षा की जानी चाहिए और यदि समीक्षा में सुधारात्मक उपायों की कोई आवश्यकता सामने आती है, तो उसके आलोक में उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए। "

4. अत:, समिति दोहराती है कि वीवीआईपी/माननीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न संगठनों के शासी निकायों की अध्यक्षता किये जाने के मामले की उच्चतम स्तर पर समीक्षा की जानी चाहिए और अनुमोदन में विलंब को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए।

5. समिति यह भी नोट करती है कि एनएमएमएल के वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 1 महीना 7 दिन के विलंब से प्रस्तुत किये गए थे जबकि वर्ष 2021-22 के लिए दस्तावेज निर्धारित तिथि अर्थात संबंधित वर्ष के 31 दिसंबर तक सभापटल पर नहीं रखे गए हैं। इसलिए, समिति संस्कृति मंत्रालय को यह सिफारिश करती है कि वह एनएमएमएल, नई दिल्ली के आवश्यक दस्तावेज निश्चित रूप से निर्धारित समय के भीतर रखा जाना सुनिश्चित करे।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

<u>परिशिष्ट-एक</u>

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 02)

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोक सभा) के 74वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

(सिफारिश क्रम संख्या 23)

समिति नोट करती है कि संस्कृति मंत्रालय और नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल) ने नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को संसद के दोनों ही सदनों के सभा पटल पर निर्धारित समयावधि में रखने के लिए एनएमएमएल सोसाइटी के संगम ज्ञापन, नियम एवं विनियम की धारा 48(क) के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है। समिति यह नोट कर बहुत निराश है कि संस्कृति मंत्रालय ने नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के वर्ष 2015-16 और 2016-17 के उन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया; जिन्हें 12 से 15 महीनों के विलम्ब से सभा पटल पर रखा गया। समिति गंभीर चिन्ता के साथ यह भी नोट करती है कि वर्ष 2017-18 से 2019-2020 तक के उन दस्तावेजों को, जिन्हें संबंधित वर्ष के 31 दिसम्बर तक सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक था, अभी तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है।

(*2017-18 से 2019-2020 तक के दस्तावेजों को 13.12.2021 को और 2020-21 के दस्तावेज को 07.02.2022 को सभा पटल पर रखा गया है)

उत्तर

वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को रखने में हुए विलंब के कारणों को भविष्य में अनुपालन करने के लिए नोट कर लिया गया है। यह बताया गया है कि वित्त वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को इस बीच सभा पटल पर रखा जा चुका है।

वित्त वर्ष 2021-22 के लेखाओं की लेखापरीक्षा जुलाई माह में की गई थी और 14 अक्तूबर, 2022 को लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है। इसके अतिरिक्त, एनएमएमएल को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है कि एजीएम की बैठक समय पर आयोजित की जाए ताकि वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को स्वीकार किया जा सके। अत: यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि समिति की सिफारिशों का पालन किया जाए और वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सभा पटल पर रख दिया जाए।

(**सिफारिश क्रम संख्या 24**)

मंत्रालय के उत्तरों से समिति यह पाती है कि एनएमएमएल ने वार्षिक लेखाओं के संकलन, लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए लेखापरीक्षकों से सम्पर्क करने से लेकर दस्तावेजों को मंत्रालय में भेजने तक प्रत्येक चरण में लापरवाहीपूर्ण रवैया अपनाया है। अत: समिति इस बात की पुरजोर सिफारिश करती है कि ऐसे मसलों को हल करने के लिए मंत्रालय/एनएमएमएल को भविष्य में अग्रिम कार्रवाई करनी चाहिए;

क्योंकि इससे अपेक्षित दस्तावेजों को अंतिम रूप देने की समग्र प्रक्रिया प्रभावित होती है।

उत्तर

बताया जाता है कि वार्षिक लेखाओं के संकलन, वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा और मंत्रालय में दस्तावेज भेजने तक शामिल विभिन्न कार्यों के प्रत्येक चरण में समय-सीमा का पालन करने के लिए एनएमएमएल द्वारा कार्यालय आदेश सं.19-29/2020-21/लेखा दिनांक 12.01.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) जारी किया गया था।

वित्त वर्ष 2021-22 के लेखाओं की लेखापरीक्षा जुलाई माह में की गई थी और 14 अक्तूबर, 2022 को लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है। इसके अतिरिक्त, एनएमएमएल को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है कि एजीएम की बैठक समय पर आयोजित की जाए ताकि वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को स्वीकार किया जा सके। अत: यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि समिति की सिफारिशों का पालन किया जाए और वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सभा पटल पर रखा जाए।

(**सिफारिश क्रम संख्या 25**)

समिति आगे यह भी पाती है कि वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 तक की अवधि में एजीएम से अनुमोदन लेने में अनुचित विलम्ब हुआ है।समिति, मंत्रालय/एनएमएमएल के इस रवैये से निराश है और चाहती है कि एजीएम की

मीटिंग समय से या तो ऑन लाइन बुलाई जानी चाहिए या फिर परिचालन के जरिए दस्तावेजों को अनुमोदित कराया जाना चाहिए, जैसा कि अन्य मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है। समिति, मंत्रालय को यह सख्त निदेश देती है कि वे वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 तक के लम्बित पड़े अपेक्षित दस्तावेजों को आगे कोई और विलम्ब किए बिना सभा पटल पर रखे, जैसा कि आश्वस्त किया गया है।

उत्तर

बताया जाता है कि वित्त वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को इस बीच सभा पटल पर रख दिया गया है। एनएमएमएल को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए एजीएम की बैठक समय पर आयोजित की जाए ताकि इन्हें संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सभा पटल पर रखा जा सके।

(**सिफारिश क्रम संख्या 26**)

समिति आगे यह भी नोट करती है कि संस्कृति मंत्रालय एनएमएमएल के दस्तावेजों को निर्धारित समय में संसद के दोनों ही सदनों में सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र बनाने में नाकाम रहा है जो एक गंभीर चिन्ता का विषय है। समिति सिफारिश करती है कि भविष्य में दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा व्यापक व समग्र प्रयास किए जाने चाहिए और इन निदेशों के अनुपालन और साथ ही भविष्य में ऐसे विलम्ब से बचने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों से भी समिति को अवगत कराया जाना चाहिए।

उत्तर

एनएमएमएल को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए एजीएम की बैठक समय पर आयोजित की जाए ताकि इन्हें संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सभा पटल पर रखा जा सके।

(**सिफारिश क्रम संख्या 27**)

समिति, मंत्रालय से यह आग्रह करती है कि यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से एनएमएमएल के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय में सभा पटल पर नहीं रखा जा सका तो उन कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण कि इन अपेक्षित दस्तावेजों को निर्धारित समयावधि में सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जा सका, सभा पटल पर 30 दिनों के भीतर या जैसे ही सदन समवेत हो, जो भी बाद में हो, रखा जाना चाहिए।

उत्तर

सिफारिश को अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

<u>परिशिष्ट-2</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)</u>

समिति की बैठक गुरुवार, 29 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क

3. श्री चौधरी मोहन जटुआ

4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

5. श्री टी.एन. प्रथापन

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची से अवगत कराया।

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 कीगई कार्रवाई- प्रतिवेदनों पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए लिया - :

1. x x x x x;
2. x x x x x;
3. x x x x x;
4. x x x x x;
5. x x x x x;
6. x x x x x;
7. x x x x x
8. x x x x x
9. x x x x x
10. x x x x x
11. x x x x x
12. संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 74 वे प्रतिवेदन (17 वी लोक सभा) मे कि सिफारिश/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई

समिति द्वारा 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 की-गई कार्रवाई प्रतिवेदनों पर विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्रधिकृत किया गया ।

xx xx xx xx

(बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रखी जाती है।)

इसके बाद समिति स्थगित हो गई।

****